परिशिष्ट– दो

प्रपत्र–2

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम–17 के उपनियम (6) को देखें।

E-mail deo-chp-edu-uk@nic.in

दूरभाष/फैक्स– 05965230614

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत।

पत्रांकः– 11295-311 /शि0का0आ0/मान्यता/2024–25

दिनांक 23 दिसम्बर 2024.

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

ओकलैण्ड पब्लिक स्कूल लोहाघाट

जनपद–चम्पावत।

विषयः– बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम – 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 03–08–2024 उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय, **ओकलैण्ड पब्लिक स्कूल लोहाघाट** को अंग्रेजी माध्यम् से कक्षा नर्सरी से कक्षा–08 तक संचालन मात्र 05 वर्ष 2024 से 2029 तक अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा से बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 तथा उत्तराखण्ड राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त बच्चों के मामले मे ....विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा b के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैक खाता संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान प्राप्त नही किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा य उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण–पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाऐंगें।

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को अध्याय 5 के नियम–5.2.2. के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्कता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम के अनुच्छेद 23 की धारा–1 उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जोयगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 24 की धारा –1 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगें।

(viii) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठयचर्या एव पाठयक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 के प्राव्धानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 में उद्वत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा–
    - विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल,
    - कुल निर्मित क्षेत्र,
    - खेल के मैदान का क्षेत्र,
    - कक्षा–कक्षों की कुल संख्या,
    - प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष,
    - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय,
    - पेयजज की सुविधा,
    - मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई–घर,
    - बाधारहित पहुँच,
    - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद सामग्री/पुस्तकालय

11 इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13 विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत नियन्त्रित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम् से संचालित होगा।

14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15 लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिदिन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।

16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या PS/78 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17 निदेशक विद्यालयी शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18 यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19 यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

20 परिशिष्ट–4 के रूप में सलंग्न अन्य शर्ते।

भवदीय,

(एम0एस0 बिष्ट)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।

पृ0सं0/ 11205-311 /शि0का0अ0/मान्यता/2024–25 दिनांक उक्तावत्।
प्रतिलिपि– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक)कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत ।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी लोहाघाट संबंधित विकास खण्ड।
6. उप शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) संबंधित विकास खण्ड।
7. कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।